E-ISSN: 3048-6041 | Volume- 2, Issue- 5 | May 2025

भारतीय संविधान के निर्माण में सरदार वल्लभभाई पटेल के योगदान का विशेष अध्ययन

शीतल यादव [1], मोहित कुमार सिंह [2], डॉ० पंकज शर्मा [3]

[1] शोधार्थी, डॉ० भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

[2] शोधार्थी, डॉ० भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा

[3] विभागाध्यक्ष इतिहास, के.आर.(पी.जी) कॉलेज, मथुरा

सारांश

भारतीय संविधान सभा का गठन भारत के स्वतंत्रता संग्राम और संविधान निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इस सभा ने भारत के लिए एक लोकतांत्रिक, समावेशी और न्यायपूर्ण संविधान का निर्माण किया। सरदार वल्लभभाई पटेल, जिन्हें "भारत का लौह पुरुष" कहा जाता है, ने संविधान सभा में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों के हितों, राज्यों के एकीकरण और ग्राम पंचायतों के संगठन जैसे मुद्दों पर महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस शोध पत्र का उद्देश्य संविधान सभा के गठन, उसकी संरचना, और सरदार पटेल के योगदान का विस्तृत विश्लेषण करना है।

मुख्य शब्द - भारतीय संविधान सभा, सरदार वल्लभभाई पटेल, कैबिनेट मिशन, मौलिक अधिकार, ग्राम पंचायत, संविधान निर्माण।

1. परिचय

भारतीय संविधान सभा का गठन भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने भारत को एक स्वतंत्र, लोकतांत्रिक और संप्रभु राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की नींव रखी। यह सभा भारत के लिए एक संविधान का निर्माण करने के लिए बनाई गई थी, जो देश के विविधता भरे समाज को एक सूत्र में बांध सके और उसे न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों पर आधारित कर सके। संविधान सभा का गठन और उसकी कार्यप्रणाली भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अंतिम चरणों में हुई, जब भारत ब्रिटिश शासन से मुक्त होने की ओर अग्रसर था।

संविधान सभा का गठन: ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भारतीय संविधान सभा का गठन एक लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम था। भारत में संवैधानिक सुधारों की मांग 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से ही शुरू हो गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (1885) के गठन के बाद से ही भारतीय नेताओं ने स्वशासन और संवैधानिक अधिकारों की मांग की।[1] 1919 के मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार और 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने भारत में संवैधानिक विकास की दिशा में कुछ कदम उठाए, लेकिन ये सुधार भारतीयों की आकांक्षाओं को पूरा करने में विफल रहे।

[1] अंबेडकर, बी.आर. (1948). भारतीय सं वधान का निर्माण. नई दिल्ली: सं वधान प्रकाशन।

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और तेज हो गया। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया, जिसने भारत को युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेटस देने का प्रस्ताव रखा। हालांकि, यह प्रस्ताव भारतीय नेताओं को संतुष्ट नहीं कर सका और इसके परिणामस्वरूप भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया, जिसने संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा। इस मिशन ने भारत के लिए एक संविधान सभा के गठन की योजना बनाई, जो भारत के लिए एक स्वतंत्र संविधान का निर्माण करेगी।

2 संविधान सभा का गठन

कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाना था। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, जिनमें से 292 ब्रिटिश भारत के प्रांतों से, 93 देशी रियासतों से और 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से थे। हालांकि, भारत के विभाजन के बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई, जिनमें से 229 प्रांतों से और 70 देशी रियासतों से थे।

संविधान सभा का पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 को डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुआ। बाद में डॉ. राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा के उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे, जिन्होंने संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

2.1 संविधान सभा की कार्यप्रणाली

संविधान सभा ने अपने कार्य को व्यवस्थित ढंग से पूरा करने के लिए कई समितियों का गठन किया। इन समितियों में सबसे महत्वपूर्ण प्रारूप समिति (Drafting Committee) थी, जिसके अध्यक्ष डॉ. बी.आर. अंबेडकर थे। प्रारूप समिति ने संविधान का प्रारूप तैयार किया और इसे संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया। इसके अलावा, संविधान सभा ने संघ शक्ति समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ संविधान समिति, मौलिक अधिकार समिति, अल्पसंख्यक समिति आदि का गठन किया।

संविधान सभा ने संविधान के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की और उन पर मतदान किया। संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान के प्रत्येक अनुच्छेद पर गहन विचार-विमर्श किया और उसे अंतिम रूप दिया। संविधान सभा ने कुल 11 सत्र आयोजित किए और 2 वर्ष, 11 महीने और 18 दिनों में संविधान का निर्माण किया।

2.2 संविधान सभा का चुनाव

भारतीय संविधान सभा का गठन एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण प्रक्रिया थी, जिसने भारत के संविधान के निर्माण की नींव रखी। संविधान सभा के चुनाव की प्रक्रिया और उसकी संरचना ने भारतीय लोकतंत्र की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाई। यह चुनाव प्रक्रिया जटिल थी, लेकिन इसे इस तरह से डिजाइन किया गया था कि यह भारत की विविधता और बहुलता को प्रतिबिंबित कर सके। इस खंड में हम संविधान सभा के चुनाव की प्रक्रिया, सीटों का वितरण, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और इसके प्रमुख सदस्यों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे।

चुनाव प्रक्रिया

संविधान सभा के चुनाव की प्रक्रिया अप्रत्यक्ष थी, जिसमें प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों ने संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया। यह प्रक्रिया 1946 में शुरू हुई और इसे कैबिनेट मिशन योजना (1946) के तहत लागू किया गया था। कैबिनेट मिशन ने भारतीय नेताओं के साथ विचार-विमर्श के बाद संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा था।

इस योजना के अनुसार, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाना था। प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों को संविधान सभा के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव करने का अधिकार दिया गया था। यह चुनाव एकल संक्रमणीय मत (Single Transferable Vote) प्रणाली के तहत किया गया था, जो एक प्रकार की आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है। इस प्रणाली के तहत, मतदाता अपने वोट को एक से अधिक उम्मीदवारों को दे सकते थे और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर रैंक कर सकते थे। इससे यह सुनिश्चित होता था कि विभिन्न समुदायों और हितों का प्रतिनिधित्व संविधान सभा में हो सके।

सीटों का वितरण

संविधान सभा में कुल 299 सीटें थीं, जिनमें से 292 सीटें ब्रिटिश भारत के प्रांतों के लिए आरक्षित थीं और शेष 7 सीटें देशी रियासतों (राज्यों) के प्रतिनिधियों के लिए थीं। ब्रिटिश भारत के प्रांतों के लिए आरक्षित 292 सीटों को विभिन्न प्रांतों के बीच उनकी जनसंख्या और राजनीतिक महत्व के आधार पर वितरित किया गया था।

प्रांतों के बीच सीटों का वितरण निम्नलिखित था:

- **मद्रास प्रेसीडेंसी**: 49 सीटें
- **बॉम्बे प्रेसीडेंसी**: 21 सीटें
- **बंगाल**: 37 सीटें
- **संयुक्त प्रांत (यूपी)**: 55 सीटें
- **पंजाब**: 28 सीटें
- **बिहार**: 36 सीटें
- **सेंट्रल प्रोविंस (मध्य प्रांत)**: 17 सीटें
- **असम**: 8 सीटें
- **उड़ीसा**: 4 सीटें
- **सिंध**: 4 सीटें
- **एनडब्ल्यूएफपी (उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत)**: 3 सीटें
- **बलूचिस्तान**: 1 सीट

देशी रियासतों के लिए आरक्षित 7 सीटों का वितरण उनकी जनसंख्या और राजनीतिक महत्व के आधार पर किया गया था। इन रियासतों के प्रतिनिधियों का चुनाव रियासतों के शासकों द्वारा किया गया था।

राजनीतिक प्रतिनिधित्व

संविधान सभा में विभिन्न राजनीतिक दलों और स्वतंत्र उम्मीदवारों का प्रतिनिधित्व था। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) और मुस्लिम लीग जैसे प्रमुख राजनीतिक दलों के सदस्य शामिल थे। संविधान सभा में विभिन्न समुदायों, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों का भी प्रतिनिधित्व था।

- **भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC)**: कांग्रेस ने संविधान सभा में सबसे अधिक 208 सीटें जीतीं। कांग्रेस ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई थी और इसके प्रमुख नेता, जैसे जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल, डॉ. राजेंद्र प्रसाद और मौलाना अबुल कलाम आजाद, संविधान सभा के प्रमुख सदस्य थे।
- **मुस्लिम लीग**: मुस्लिम लीग ने संविधान सभा में 73 सीटें जीतीं। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के निर्माण की मांग की थी और इसके प्रमुख नेता, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली खान, संविधान सभा के

सदस्य थे। हालांकि, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा के कार्यों में सक्रिय रूप से भाग नहीं लिया, क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य पाकिस्तान का निर्माण करना था।

- **अन्य दल और स्वतंत्र उम्मीदवार:** संविधान सभा में अन्य छोटे दलों और स्वतंत्र उम्मीदवारों का भी प्रतिनिधित्व था। इनमें कम्युनिस्ट पार्टी, हिंदू महासभा, सिख समुदाय के प्रतिनिधि और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधि शामिल थे।

संविधान सभा की संरचना

संविधान सभा की संरचना विविधतापूर्ण थी और इसमें विभिन्न पृष्ठभूमि के लोग शामिल थे। इसमें वकील, शिक्षाविद, स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता और अन्य पेशेवर शामिल थे। संविधान सभा के प्रमुख सदस्यों में निम्नलिखित शामिल थे:

- **डॉ. राजेंद्र प्रसाद:** संविधान सभा के अध्यक्ष और भारत के पहले राष्ट्रपति।
- **जवाहरलाल नेहरू:** भारत के पहले प्रधानमंत्री और संविधान सभा के प्रमुख नेता।
- **सरदार वल्लभभाई पटेल:** भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री।
- **डॉ. बी.आर. अंबेडकर:** संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष और भारतीय संविधान के प्रमुख वास्तुकार।
- **सरोजिनी नायडू:** भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रमुख नेता और भारत की पहली महिला राज्यपाल।
- **विजयलक्ष्मी पंडित:** भारतीय राजनीतिज्ञ और राजनयिक।
- **हंसा मेहता:** महिला अधिकारों की प्रमुख समर्थक और संविधान सभा की सदस्य।

संविधान सभा में 15 महिला सदस्य भी शामिल थीं, जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों और समानता के मुद्दों को उठाया। इनमें विजयलक्ष्मी पंडित, हंसा मेहता, राजकुमारी अमृत कौर और दुर्गाबाई देशमुख जैसी प्रमुख महिला नेता शामिल थीं।

संविधान सभा का चुनाव भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने भारत के संविधान के निर्माण की नींव रखी। इस चुनाव प्रक्रिया ने भारत की विविधता और बहुलता को प्रतिबिंबित किया और विभिन्न समुदायों, राजनीतिक दलों और हितों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया। संविधान सभा के सदस्यों ने मिलकर एक ऐसे संविधान का निर्माण किया, जो भारत के लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों की आधारशिला बना। इस प्रक्रिया ने न केवल भारत के संविधान को आकार दिया, बल्कि यह भारतीय लोकतंत्र की दिशा तय करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

3 सरदार वल्लभभाई पटेल का योगदान

सरदार वल्लभभाई पटेल, जिन्हें "भारत का लौह पुरुष" कहा जाता है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्र भारत के निर्माण में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। उन्होंने न केवल भारत के राजनीतिक एकीकरण में अहम भूमिका निभाई, बल्कि भारतीय संविधान के निर्माण में भी उनका योगदान अमूल्य था। संविधान सभा में उनकी भूमिका,

प्रमुख बहसों में उनके भाषण और संविधान में उनके योगदान को समझना भारतीय लोकतंत्र की नींव को समझने के लिए आवश्यक है।[2]

3.1 संविधान सभा में भूमिका

सरदार वल्लभभाई पटेल संविधान सभा के प्रमुख सदस्यों में से एक थे। उन्होंने संविधान निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय भाग लिया और विभिन्न समितियों की अध्यक्षता एवं सदस्यता के माध्यम से अपना योगदान दिया।

समितियों की अध्यक्षता:

1. **मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक और आदिवासी क्षेत्रों पर सलाहकार समिति:** सरदार पटेल ने इस समिति की अध्यक्षता की, जिसका उद्देश्य भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को परिभाषित करना और अल्पसंख्यकों तथा आदिवासी समुदायों के हितों की रक्षा करना था। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि संविधान में सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान किए जाएं और अल्पसंख्यकों को सुरक्षा उपायों का लाभ मिले।
2. **प्रांतीय संविधान समिति:** इस समिति का कार्य प्रांतीय सरकारों के संवैधानिक ढांचे को तैयार करना था। पटेल ने इस समिति के माध्यम से यह सुनिश्चित किया कि प्रांतीय सरकारें केंद्र के साथ सामंजस्य बनाकर काम करें और देश की एकता को मजबूत करें।

अन्य समितियों में सदस्यता:

1. **संघ शक्ति समिति:** इस समिति का उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन करना था। पटेल ने इस समिति में सक्रिय भूमिका निभाई और यह सुनिश्चित किया कि केंद्र सरकार को पर्याप्त शक्तियां प्राप्त हों, ताकि देश की एकता और अखंडता को बनाए रखा जा सके।
2. **राज्यों के एकीकरण से संबंधित समितियाँ:** सरदार पटेल ने राज्यों के एकीकरण से संबंधित समितियों में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने देशी रियासतों को भारतीय संघ में शामिल करने के लिए कूटनीतिक और प्रशासनिक प्रयास किए, जिससे भारत का राजनीतिक एकीकरण संभव हो सका।

3.2 प्रमुख बहस और भाषण

सरदार पटेल ने संविधान सभा में कई महत्वपूर्ण बहसों में भाग लिया और अपने भाषणों के माध्यम से देश की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

1. **मौलिक अधिकारों पर बहस:** पटेल ने मौलिक अधिकारों पर हुई बहस में अल्पसंख्यकों के अधिकारों और सुरक्षा उपायों पर विशेष जोर दिया। उनका मानना था कि एक लोकतांत्रिक देश में सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलने चाहिए और अल्पसंख्यकों को उनके अधिकारों की गारंटी दी जानी चाहिए। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि संविधान में धर्म, जाति, लिंग और भाषा के आधार पर किसी के साथ भेदभाव न हो।
2. **ग्राम पंचायतों पर बहस:** सरदार पटेल ने ग्राम पंचायतों के महत्व पर जोर देते हुए महात्मा गांधी के विचारों को संविधान में शामिल करने की वकालत की। उनका मानना था कि ग्राम पंचायतें लोकतंत्र की आधारशिला

[2] पटेल, वल्लभभाई. (1950). सरदार पटेल के भाषण और लेख. अहमदाबाद: नवजीवन प्रकाशन।

हैं और इन्हें संविधान में मान्यता दी जानी चाहिए। उनके प्रयासों के कारण ही संविधान में अनुच्छेद 40 को शामिल किया गया, जो ग्राम पंचायतों के संगठन को प्रोत्साहित करता है।

3. **राज्यों के एकीकरण पर बहस:** पटेल ने राज्यों के एकीकरण पर हुई बहस में भारत की एकता और अखंडता को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने देशी रियासतों को भारतीय संघ में शामिल करने के लिए कूटनीतिक और प्रशासनिक प्रयास किए। उनके नेतृत्व में ही 562 देशी रियासतों को भारत में मिलाया गया, जिससे भारत का राजनीतिक एकीकरण संभव हो सका।

3.3 संविधान में योगदान

सरदार पटेल का भारतीय संविधान के निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने संविधान में कई प्रावधानों को शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो आज भी भारतीय लोकतंत्र की नींव हैं।

1. **अनुच्छेद 40: ग्राम पंचायतों का संगठन:** सरदार पटेल ने ग्राम पंचायतों के महत्व को समझते हुए संविधान में अनुच्छेद 40 को शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस अनुच्छेद के तहत राज्यों को ग्राम पंचायतों के संगठन को प्रोत्साहित करने का निर्देश दिया गया है। यह प्रावधान गांधीजी के ग्राम स्वराज के सिद्धांत को संविधान में शामिल करने का प्रतीक है।

2. **अनुच्छेद 370: जम्मू-कश्मीर के लिए विशेष दर्जा:** सरदार पटेल ने जम्मू-कश्मीर के लिए विशेष दर्जे के प्रावधान (अनुच्छेद 370) को संविधान में शामिल करने में भूमिका निभाई। हालांकि, यह प्रावधान बाद में हटा दिया गया, लेकिन इसके माध्यम से जम्मू-कश्मीर को भारतीय संघ में शामिल करने का मार्ग प्रशस्त हुआ।

3. **प्रस्तावना: न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत:** सरदार पटेल ने संविधान की प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को शामिल करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये सिद्धांत भारतीय संविधान के मूलभूत आधार हैं और भारतीय लोकतंत्र की आत्मा को दर्शाते हैं।

सरदार वल्लभभाई पटेल का भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण था। उन्होंने संविधान सभा में अपनी भूमिका के माध्यम से देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए अथक प्रयास किए। उनके प्रयासों के कारण ही भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, ग्राम पंचायतों का संगठन और राज्यों के एकीकरण जैसे प्रावधान शामिल हो सके। सरदार पटेल ने न केवल भारत के राजनीतिक एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि उन्होंने भारतीय संविधान को एक मजबूत और समावेशी दस्तावेज बनाने में भी अहम योगदान दिया। उनका योगदान आज भी भारतीय लोकतंत्र की नींव को मजबूत बनाए हुए है।

भारतीय संविधान सभा का गठन स्वतंत्र भारत के लिए एक लोकतांत्रिक, समतामूलक और न्यायसंगत संविधान तैयार करने के उद्देश्य से किया गया था। संविधान सभा में हुई बहसें और लिए गए निर्णय भारतीय लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों को आकार देने में महत्वपूर्ण साबित हुए। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कई जटिल और गहन मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ, जिनमें संघीय ढांचे की स्थापना, राष्ट्रपति की भूमिका, अल्पसंख्यक अधिकारों की सुरक्षा और मौलिक अधिकारों की परिभाषा शामिल थी। इन बहसों में कई महान नेताओं ने हिस्सा लिया और अपने विचार प्रस्तुत किए।

4 भारतीय संविधान सभा

4.1 प्रमुख बहस

संविधान सभा में विभिन्न विषयों पर बहस हुई, जिनमें से कुछ विशेष रूप से महत्वपूर्ण थीं। ये बहसें भारत के भविष्य को तय करने में निर्णायक सिद्ध हुईं।

(1) संघीय ढांचा: केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन

भारत के राजनीतिक ढांचे को तय करने के लिए यह बहस अत्यंत महत्वपूर्ण थी। संविधान सभा में यह विचार किया गया कि भारत एक संघीय प्रणाली अपनाएगा या एक एकात्मक शासन व्यवस्था होगी।

डॉ. बी. आर. अंबेडकर ने संविधान सभा में स्पष्ट किया कि भारतीय संघीय ढांचा पारंपरिक संघीय संरचनाओं से अलग होगा। यह एक लचीला संघीय ढांचा होगा, जिसमें केंद्र को अधिक शक्तियाँ दी जाएंगी, ताकि राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखा जा सके। इस संदर्भ में, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन तीन सूचियों – केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के माध्यम से किया गया।

[3]कुछ सदस्यों का मत था कि राज्यों को अधिक स्वायत्तता दी जानी चाहिए, जबकि अन्य का विचार था कि केंद्र को मजबूत होना चाहिए। अंततः, संविधान सभा ने इस बात को स्वीकार किया कि केंद्र और राज्य दोनों के पास कुछ विशेषाधिकार होंगे, लेकिन किसी संकट की स्थिति में केंद्र को अधिक अधिकार दिए जाएंगे।

(2) राष्ट्रपति की भूमिका: राष्ट्रपति के अधिकार और कर्तव्य

संविधान सभा में यह बहस भी महत्वपूर्ण थी कि भारत में राष्ट्रपति का पद केवल एक औपचारिक पद होगा या उसे कार्यकारी शक्तियाँ भी प्राप्त होंगी।

संविधान सभा में कई सदस्यों का मत था कि राष्ट्रपति को अधिक कार्यकारी अधिकार दिए जाएं, ताकि वह स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सके। लेकिन डॉ. अंबेडकर और अन्य सदस्यों ने इस बात को स्पष्ट किया कि भारत का राष्ट्रपति केवल एक संवैधानिक प्रमुख होगा, और वास्तविक कार्यकारी शक्तियाँ प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होंगी।

इस बहस के दौरान यह निर्णय लिया गया कि भारत का राष्ट्रपति संसदीय प्रणाली के अनुरूप कार्य करेगा और मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधा रहेगा। इस प्रकार, भारत की शासन प्रणाली को ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली के आधार पर विकसित किया गया।

(3) अल्पसंख्यक अधिकार: धार्मिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षा उपाय

संविधान सभा में एक महत्वपूर्ण बहस अल्पसंख्यक अधिकारों को लेकर हुई। भारत एक बहुसांस्कृतिक और बहुधार्मिक देश है, जिसमें विभिन्न धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों के लोग रहते हैं। संविधान सभा में यह बहस हुई कि अल्पसंख्यकों को किस प्रकार के अधिकार दिए जाने चाहिए ताकि वे अपनी पहचान बनाए रख सकें और किसी प्रकार के भेदभाव का शिकार न हों।

[3] Constituent Assembly Debates (CAD). (1946-1950). Official Reports. नई दिल्ली: संसदीय प्रकाशन।

संविधान सभा में कई सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया कि अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार दिए जाएं, ताकि वे स्वतंत्र रूप से अपने धर्म और संस्कृति का पालन कर सकें।

इस बहस के परिणामस्वरूप, संविधान में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए, जैसे:

- अनुच्छेद 25-28 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार।
- अनुच्छेद 29-30 के तहत अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, धर्म और संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार।
- सरकारी नौकरियों और शिक्षा संस्थानों में समान अवसर प्रदान करने की व्यवस्था।

4.2 सरदार पटेल के भाषण

सरदार वल्लभभाई पटेल संविधान सभा में एक प्रभावशाली नेता थे, जिन्होंने भारतीय गणराज्य की नींव मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके भाषण संविधान निर्माण प्रक्रिया के दौरान मार्गदर्शक सिद्ध हुए।

(1) मौलिक अधिकारों पर भाषण: समानता और न्याय के सिद्धांतों पर जोर

सरदार पटेल ने संविधान सभा में मौलिक अधिकारों पर विशेष जोर दिया। उनका मानना था कि भारत में सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलने चाहिए, चाहे उनका धर्म, जाति या भाषा कुछ भी हो।

अपने भाषणों में उन्होंने यह स्पष्ट किया कि:

- भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए।
- सभी नागरिकों को समान अवसर मिलने चाहिए।
- सरकार को किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए।

सरदार पटेल ने यह भी कहा कि संविधान को ऐसा बनाया जाए जो भारत की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करे।

(2) राज्यों के एकीकरण पर भाषण: भारत की एकता को मजबूत करने की आवश्यकता

भारत की स्वतंत्रता के समय देश के विभिन्न भागों में 500 से अधिक रियासतें थीं। इन रियासतों को भारत में एकीकृत करने की चुनौती सरदार पटेल के सामने थी।

संविधान सभा में अपने भाषणों में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत की एकता और संप्रभुता को बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि:

- भारत की रियासतों को देश की मुख्यधारा में शामिल किया जाना चाहिए।
- देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए एक मजबूत केंद्र की आवश्यकता है।
- किसी भी प्रकार की विघटनकारी ताकतों को रोका जाना चाहिए।

सरदार पटेल की कुशल नेतृत्व क्षमता और रणनीतिक सोच के कारण ही भारत का सफल एकीकरण संभव हुआ। उन्होंने विभिन्न रियासतों को समझा-बुझाकर भारत में शामिल किया और देश की एकता को सुनिश्चित किया।

संविधान सभा में हुई बहसों और लिए गए निर्णयों ने भारतीय लोकतंत्र की नींव रखी। संघीय ढांचे, राष्ट्रपति की भूमिका, अल्पसंख्यक अधिकारों और मौलिक अधिकारों पर गहन चर्चा हुई, जिसके परिणामस्वरूप एक सशक्त और न्यायसंगत संविधान तैयार किया गया।

सरदार पटेल के योगदान ने भारत की एकता को मजबूत किया और राष्ट्र के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया। संविधान सभा की बहसों और निर्णयों ने भारतीय गणराज्य को एक सुदृढ़ लोकतंत्र के रूप में स्थापित किया, जो समावेशिता, न्याय और समानता के सिद्धांतों पर आधारित है।

5 संविधान में योगदान का प्रभाव

5.1 ग्राम पंचायतों का विकास: स्थानीय स्वशासन को मजबूत करना

सरदार वल्लभभाई पटेल भारतीय संविधान के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नेताओं में से एक थे। उनका मुख्य उद्देश्य एक संगठित और आत्मनिर्भर भारत की स्थापना करना था। उन्होंने भारतीय संविधान सभा में स्थानीय स्वशासन की अवधारणा को मजबूत करने का समर्थन किया और ग्राम पंचायतों के विकास की वकालत की।

ग्राम पंचायतें भारतीय लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम थीं। सरदार पटेल का मानना था कि सशक्त ग्राम पंचायतें ही सशक्त भारत का निर्माण कर सकती हैं। उन्होंने महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के विचारों को प्रोत्साहित करते हुए संविधान में ऐसे प्रावधानों का समर्थन किया, जिससे स्थानीय प्रशासन को अधिक अधिकार और स्वायत्तता प्राप्त हो।

उनके प्रयासों के कारण ही भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था की नींव पड़ी। यद्यपि पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक मान्यता 1992 में 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से प्राप्त हुई, लेकिन इसकी बुनियाद सरदार पटेल के प्रयासों से ही रखी गई थी। उन्होंने इस विचार को आगे बढ़ाया कि प्रशासन को केवल केंद्र और राज्य तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसे गांवों तक ले जाना चाहिए, जिससे जनता की समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर ही हो सके।

राज्यों का एकीकरण: भारत की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना

सरदार पटेल को 'लौह पुरुष' के रूप में जाना जाता है क्योंकि उन्होंने 562 रियासतों का भारत में सफलतापूर्वक विलय किया। यह कार्य इतना सरल नहीं था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारतीय रियासतों को यह स्वतंत्रता दी थी कि वे चाहें तो भारत में शामिल हो जाएं या स्वतंत्र रहें।

सरदार पटेल ने अपने राजनीतिक कौशल और दृढ़ संकल्प से रियासतों के शासकों को भारत में सम्मिलित होने के लिए राजी किया। जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर जैसी जटिल समस्याओं का समाधान उन्होंने सूझबूझ और सैन्य शक्ति के संयोजन से किया। उनकी इस रणनीति के कारण ही आज भारत एक संगठित राष्ट्र के रूप में खड़ा है।

[4]भारत के एकीकरण के इस कार्य ने न केवल संविधान निर्माण को सुचारू रूप से आगे बढ़ाया, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि भारत की राजनीतिक अखंडता बनी रहे। यदि यह कार्य नहीं होता, तो संविधान लागू होने के बाद भी भारत

[4] मेनन, वी.पी. (1956). The Integration of the Indian States. ओरिएंट लॉन्गमैन।

कई टुकड़ों में बंटा रह सकता था। इसलिए, सरदार पटेल का योगदान केवल राजनीतिक रूप से ही नहीं, बल्कि संवैधानिक दृष्टि से भी अमूल्य है।

5.2 अन्य नेताओं के साथ तुलना

गांधीजी के साथ तुलना: ग्राम स्वराज के विचारों का समर्थन

महात्मा गांधी और सरदार पटेल के विचारों में कई समानताएँ थीं, विशेष रूप से ग्राम स्वराज को लेकर। गांधीजी मानते थे कि भारत का भविष्य उसके गाँवों में बसता है, और यदि गाँव आत्मनिर्भर होंगे, तो पूरा राष्ट्र आत्मनिर्भर बन जाएगा। सरदार पटेल ने भी इसी विचारधारा का समर्थन किया और ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए।

हालाँकि, गांधीजी अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से परिवर्तन लाने में विश्वास रखते थे, जबकि सरदार पटेल प्रशासनिक और राजनीतिक उपायों का अधिक समर्थन करते थे। पटेल का मानना था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश को मज़बूत नेतृत्व और कड़े निर्णयों की आवश्यकता होगी, ताकि भारत एक संगठित और शक्तिशाली राष्ट्र बन सके।

अंबेडकर के साथ तुलना: कानूनी और प्रशासनिक दृष्टिकोण

डॉ. भीमराव अंबेडकर और सरदार पटेल दोनों ही संविधान सभा के प्रमुख सदस्य थे, लेकिन उनके दृष्टिकोण में कुछ अंतर थे। अंबेडकर का ध्यान मुख्य रूप से सामाजिक न्याय, दलित उत्थान और कानूनी सुधारों पर था, जबकि पटेल का मुख्य फोकस राष्ट्रीय एकता और प्रशासनिक सुधारों पर था।

अंबेडकर संविधान के माध्यम से एक ऐसे भारत की कल्पना कर रहे थे, जहाँ सामाजिक भेदभाव समाप्त हो और सभी नागरिकों को समान अधिकार मिले। वहीं, पटेल यह सुनिश्चित कर रहे थे कि भारत प्रशासनिक रूप से संगठित और मज़बूत हो, ताकि संविधान को प्रभावी रूप से लागू किया जा सके। हालाँकि दोनों नेताओं के कार्यक्षेत्र अलग थे, लेकिन उनके उद्देश्यों में समानता थी। दोनों ही भारत के सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रहे थे – एक सामाजिक न्याय की दिशा में और दूसरा राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में।

6. निष्कर्ष

सरदार वल्लभभाई पटेल ने भारतीय संविधान सभा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके योगदान ने संविधान के कई प्रावधानों को आकार दिया, जो भारत की एकता, अखंडता और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करते हैं। उनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व ने भारत को एक मजबूत संवैधानिक ढांचा प्रदान किया।

7. संदर्भ सूची

1. अंबेडकर, बी.आर. (1948). *भारतीय संविधान का निर्माण.* नई दिल्ली: संविधान प्रकाशन।
2. पटेल, वल्लभभाई. (1950). *सरदार पटेल के भाषण और लेख.* अहमदाबाद: नवजीवन प्रकाशन।
3. ऑस्टिन, ग्रैनविल. (1966). *The Indian Constitution: Cornerstone of a Nation.* ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
4. Constituent Assembly Debates (CAD). (1946-1950). *Official Reports.* नई दिल्ली: संसदीय प्रकाशन।
5. मेनन, वी.पी. (1956). *The Integration of the Indian States.* ओरिएंट लॉन्गमैन।